

**राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा**

वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर-302006

(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ई-मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:- एफ.4(ई)(1)(6)/क.ले.प्रशि./2025/अलेसे-III / **7899**

दिनांक:- **25.09.2025**

आदेश संख्या:- 407/2025-26

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के निम्नांकित कार्मिकों को कॉलम संख्या 05 में अंकित सम्बन्धित हरिशचन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान (रीपा) में दिनांक 25.09.2025 से 29.10.2025 तक आयोजित होने वाले कनिष्ठ लेखाकार पद के पाँच सप्ताह के संस्थानिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में दिनांक 26.09.2025 को प्रातः 09:30 बजे संस्थानिक प्रशिक्षण के लिए उपस्थिति देने हेतु मनोनीत किया जाता है:-

सारणी-I

S.No	Roll No.	Name Of Junior Accountant	Name Of Present Office	Training Centre
1	2	3	4	5
1.	767170	DHARMRAJ JANGID	BCMO - 23534 , MEDICAL AND HEALTH , MALPURA , TONK	HCM RIPA, KOTA
2.	767331	GIRIRAJ SAINI	X. EN DIV - 32114, PHED, MALPURA , TONK	HCM RIPA, KOTA
3.	721778	SUNIL KAREER	BCMO - 8001663 , MEDICAL AND HEALTH , PANCHOO , BIKANER	HCM RIPA, BIKANER
4.	717572	MAMTA BISHNOI	SE CIRCLE - 4424 , PUBLIC WORKS DEPARTMENT , BIKANER , BIKANER	HCM RIPA, BIKANER
5.	734222	ANIL KUMAR	RWSRPD - 8000471 , WATER RESOURCES , HANUMANGARH , HANUMANGARH	HCM RIPA, JODHPUR
6.	701084	KULDEEP KUMAWAT	ADDL. CMHO - 19384 , MEDICAL AND HEALTH (FAMILY WELFARE) , BHILWARA , BHILWARA	HCM RIPA, JODHPUR
7.	752411	POOJA YADAV	RAJASTHAN MEDICAL EDUCATION SOCIETY - 8000043 , RAJASTHAN MEDICAL EDUCATION SOCIETY , JAIPUR , JAIPUR	HCM RIPA, JAIPUR
8.	767076	SONIYA TEPAN	MANGING DIRECTOR - 8000776 , JAIPUR CITY TRANSPORT SERVICES LIMITED (EX CADRE POSTS) , JAIPUR , JAIPUR	HCM RIPA, JAIPUR
9.	752830	TARANA CHOUDHARY	TEHSILDAR - 8001327 , REVENUE DEPARTMENT , RINGAS , SIKAR	HCM RIPA, JAIPUR
10.	711522	HAIMA KUMARI	DISTRICT EDUCATION OFFICER I - 7236 , EDUCATION (SECONDARY) , BHARATPUR , BHARATPUR	HCM RIPA, UDAIPUR
11.	733133	PRASHALI SINGH	DIRECTOR - 6341 , SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT , JAIPUR , JAIPUR	HCM RIPA, UDAIPUR
12.	724084	GUNJAN TODI	BDO PANCHAYAT SAMITI - 2131 , PANCHAYATI RAJ , RATANGARH , CHURU	HCM RIPA, BIKANER

13.	717572	MAMTA BISHNOI	SE CIRCLE - 4424 , PUBLIC WORKS DEPARTMENT , BIKANER , BIKANER	HCM RIPA, BIKANER
14.	722467	SHANKAR LAL	JOINT DIRECTOR (R.O.) - 16593 , LFAD , BIKANER , BIKANER	HCM RIPA, BIKANER
15.	723812	JITENDRA CHOUDHARY	COMMISSIONER - 911 , EDUCATION (SECONDARY) , BIKANER , BIKANER	HCM RIPA, BIKANER
16.	723726	KOMAL BHATI	COMMISSIONER - 911 , EDUCATION (SECONDARY) , BIKANER , BIKANER	HCM RIPA, BIKANER
17.	711651	PAVAN KUMAR SHARMA	SE (PMU & RAJMIP) - 770 , WATER RESOURCES , JAIPUR , JAIPUR	HCM RIPA, JAIPUR
18.	760419	RAVI KUMAR	COMMISSIONER - 394 , EXCISE DEPARTMENT , UDAIPUR , UDAIPUR	HCM RIPA, JAIPUR
19.	723596	RAVINDRA SINGH	COMMISSIONER - 1000189 , NAGAR NIGAM(EX CADRE POSTS) , BIKANER , BIKANER	HCM RIPA, BIKANER
20.	774922	GANGA RAM	SOCIAL SECURITY OFFICER - 8000909 , SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT , DHANAU , BARMER	HCM RIPA, JODHPUR
21.	781247	VIVEK KISHAN RANJIOT	CBEQ, SMSA(RURAL) - 8001254 , RAJASTHAN SCHOOL EDUCATION COUNCIL SSA (EX CADRE POSTS) , BARMER , BARMER	HCM RIPA, JODHPUR
22.	754896	SARITA KUMARI	SUB TREASURY OFFICER - 8000018 , TREASURIES AND ACCOUNTS , KUCHAMAN CITY, DEEDWANA	HCM RIPA, JAIPUR
23.	731058	AMAN CHOUDHARY	ADPC, SMSA - 8000131 , RAJASTHAN SCHOOL EDUCATION COUNCIL SSA (EX CADRE POSTS) , TONK , TONK	HCM RIPA, JAIPUR
24.	765633	MADHU JAT	DIRECTOR - 1000381 , SC COMMISSION (EX CADRE POSTS) , JAIPUR , JAIPUR	HCM RIPA, UDAIPUR

निम्नांकित कनिष्ठ लेखाकारों का पूर्व में विभागीय आदेश दिनांक 25.09.2025 द्वारा आवंटित प्रशिक्षण केन्द्र (कॉलम संख्या 05) में संशोधन कर कॉलम संख्या 06 के अनुसार नव प्रशिक्षण केन्द्र आवंटित किया जाता है:-

सारणी-2

S.No.	Roll No.	Name Of Junior Accountant	Name Of Present Office	Previously Alloted Training Centre	Revised Training Centre
1	2	3	4	5	6
1.	716446	NEHA	New Appointment	HCM, RIPA, Kota	HCM, RIPA, Jaipur
2.	706378	NIRMALA	New Appointment	HCM, RIPA, Jodhpur	HCM, RIPA, Jaipur
3.	712643	YADVENDRA SINGH GURJAR	New Appointment	HCM, RIPA, Kota	HCM, RIPA, Jaipur

उक्त प्रशिक्षण की अवधि पाँच सप्ताह (सोमवार से शनिवार) की होगी तथा प्रशिक्षण का समय प्रातः 09:30 से सायं 06:00 बजे तक रहेगा एवं प्रतिदिन 05 व्याख्यान(लेक्चरर) होंगे। उक्त प्रशिक्षण अवधि में सभी प्रशिक्षणार्थियों को वेतन एवं भत्ते आदि का भुगतान उनके वर्तमान पदस्थापन कार्यालय द्वारा ही किया जायेगा।

उक्त संस्थानिक प्रशिक्षण गैर-आवासीय है, यदि प्रशिक्षणार्थी आवास/बोर्डिंग आदि का लाभ लेना चाहे तो आवास व खान-पान आदि हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान द्वारा निर्धारित शुल्क पर उपलब्ध रहेगी। यद्यपि कार्यदिवसों हेतु मध्याह्न भोजन (Working Lunch) सभी प्रशिक्षणार्थियों को उपलब्ध कराया जायेगा, जिसका व्यय का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जावेगा।

उक्त प्रशिक्षण अवधि में यात्रा भत्ता नियम के अध्याय XIII के नियम 34(2) अनुसार क्षतिपूर्ति भत्ता देय नहीं होगा। परन्तु मील भत्ता नियमानुसार देय होगा। किन्तु सारणी-1 में क्रम संख्या 5, 6, 10, 11, 18, 22, 23 एवं 24 पर अंकित कार्मिकों का स्वयं की प्रार्थना पत्र के आधार पर मनोनयन किये जाने के कारण मील भत्ता देय नहीं होगा।

सारणी-2 में क्रम संख्या 01 एवं 03 पर अंकित कार्मिक विभागीय आदेश संख्या 396/2025-26 दिनांक 24.09.2025 की पालना में संबंधित कोषालय, कोटा में कार्यग्रहण कर वांछित दस्तावेज प्रस्तुत कर जाँच उपरांत ह.च.मा. रीपा, जयपुर में एवं क्रम संख्या 02 पर अंकित कार्मिक विभागीय आदेश संख्या 398/2025-26 दिनांक 24.09.2025 की पालना में संबंधित कोषालय, जोधपुर (शहर) में कार्यग्रहण कर वांछित दस्तावेज प्रस्तुत कर जाँच उपरांत ह.च.मा. रीपा, जयपुर में संस्थानिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में सम्मिलित होना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त सभी कार्मिकों को राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम 1963 के नियम 32(2) के अनुसार प्रशिक्षण प्राप्त कर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। अतः सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष से अनुरोध है कि वे उनके कार्यालय/विभाग में कार्यरत उपरोक्त समस्त कार्मिकों को प्रशिक्षण हेतु आवश्यक रूप से कार्यमुक्त करें। किसी भी कार्मिक को प्रशिक्षण से मुक्त रखना संभव नहीं होगा।

प्रशिक्षण की समाप्ति उपरान्त उपरोक्त सभी कनिष्ठ लेखाकार अपने वर्तमान पदस्थापन कार्यालय में ही उपस्थिति देंगे।


(बृजेश किशोर शर्मा)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

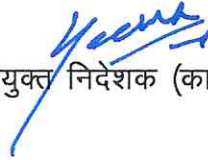
क्रमांक:- एफ.4(ई)(1)(6)/क.ले.प्रशि./2025/अलेसे-III / 7899
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

दिनांक:- 25.09.2025

1. महानिदेशक, ह.च.मा. राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जे.एल.एन मार्ग, जयपुर।
2. प्रभारी अधिकारी, (प्रशिक्षण एवं आयोजना) ह.च.मा. राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक एवं नोडल अधिकारी (कनि. लेखाकार प्रशिक्षण), हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान (रीपा), जे.एल.एन मार्ग, जयपुर एवं क्षेत्रीय कार्यालयों उदयपुर/कोटा/बीकानेर/जोधपुर को प्रेषित कर लेख कि उपरोक्त कार्मिकों को प्रशिक्षण की समाप्ति पर उनके वर्तमान विभाग/कार्यालय के लिए कार्यमुक्त कर निदेशालय को सूचित करावें।
4. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष.....
..... को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित कार्मिक को प्रशिक्षण हेतु आवश्यक रूप से कार्यमुक्त कर इस विभाग को अवगत करावें क्योंकि किसी भी कार्मिक को प्रशिक्षण से मुक्त रखना संभव नहीं होगा।
5. सम्बन्धित कार्मिक को प्रेषित कर लेख है कि उक्त संस्थानिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में नियत तिथि/समय पर उपस्थित होकर उपस्थिति की सूचना निदेशालय को अविलम्ब भिजवाना सुनिश्चित

करें, अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार की जाने वाली अनुशासनिक कार्यवाही के लिए तथा निर्धारित समयावधि में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं करने के प्रतिफल के लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे।

6. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक महोदय।
7. उपनिदेशक (एसीपी) कम्प्यूटर शाखा (वेबसाइट हेतु)।
8. रक्षित/निजी पत्रावली।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक-II/III)